रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14122022-241080 CG-DL-E-14122022-241080

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5599]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 13, 2022/अग्रहायण 22, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 13, 2022/AGRAHAYANA 22, 1944

No. 5599]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5835(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2522 (अ) तारीख 31 मई 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उड़ीसा राज्य के नवरंगपुर जिले में नव प्रस्तावित रायपुर विशाखापट्नम इकनोमिक कॉरिडोर के कि.मी. 123.21 से कि.मी. 238.2 (O/o- तहसीलदार , दाबूगां डिस्ट - नवरंगपुर) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख **"13 अगस्त 2022** को "प्रमेय" और "उड़ीसा पोस्ट" दोनों में प्रकाशित किया गया था :

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

8327 GI/2022 (1)

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य के नबरंगपुर जिले में नव प्रस्तावित रायपुर विशाखापट्नम इकनोमिक कॉरिडोर के कि.मी. 123.210 से कि.मी. 238.200 (O/o- तहसीलदार , दाबूगां डिस्ट -नबरंगपुर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

| राज्य व | राज्य का नाम: उड़ीसा जिले का नाम: नबरंगपुर | | | | | | | |
|------------------|--|--------------------|-----------------|--|---|--|--|--|
| क्रमिक संख्या | सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | तालुक का नाम: | तालुक का नाम: दबगं | | | | | | |
| | गांव का नाम: अम्बागुड़ा | | | | | | | |
| 1 | 232 | निजी | धान / २ | 0.0056 | बाराजू बिश्नोई, लक्ष्मण बिश्नोई, झिमि बिश्नोई, रुक्मणी बिश्नोई, पिता - मानधर बिश्नोई, सनेई बिश्नोई, स्व - मानधर बिश्नोई, जाति- सुंडी, गाँव - अम्बागुड़ा (२३२) | | | |
| 2 | 233 | निजी | धान / १ | 0.0968 | बाराजू बिश्नोई, लक्ष्मण बिश्नोई, झिमि बिश्नोई, रुक्मणी बिश्नोई, S/O- मानधर बिश्नोई, सनेई बिश्नोई, W/O- मानधर बिश्नोई, जाति- सुंडी, गाँव - अम्बागुड़ा (२३३) | | | |
| | गांव का नाम: छेलीबेरा | | | | | | | |
| 3 | 162 | निजी | धान /१ | 0.0032 | महादेव नायक पिता:गंगाधर नायक जाति: भातरा ग्राम: छेलीबेड़ा (१६२) | | | |
| 4 | 294 | सरकारी | पतित | 0.0017 | आबाद जोग्या अनाबादी (२९४) | | | |
| | गांव का नाम: नंदपुरा | | | | | | | |
| 5 | 324 | सरकारी | बड़ा जंगल | 0.1355 | रखित (३२४) | | | |
| 6 | 602 | निजी | धान / २ | 0.0012 | बृन्दा भतरा, मंगल भटारा, पिता - | | | |

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

| | | | | | रायबरू भतरा, कैता भतरा, स्व - रायबरू भतरा, सुकदास भतरा, जीतरु भतरा, दशरथ भतरा, पिता - मंगरु भतरा, मंगल भटारा, पिता - अनु भटारा, मंडिया भतरा, गंगा भतरा, पिता - बूटी भटारा, जाति- भतरा, गाँव- नंदपुर (६०२) | |
|----|------------------------|---------|---------|--------|---|--|
| | गांव का नाम: पर | रसुबेडा | | | | |
| 7 | 289 | निजी | डंगर /2 | 0.006 | बुरुषा भतरा , पिता - चैतू भतरा , गाओं- परसूबेड़ा (२८९) | |
| 8 | 314 | सरकारी | पतित | 0.001 | आबाद जोग्या अनाबादी (३१४) | |
| | गांव का नाम: रामणागुडा | | | | | |
| 9 | 1499 | सरकारी | पतित | 0.0136 | आबाद जोग्या अनाबादी (१४९९) | |
| 10 | 1538 | निजी | डंगर /2 | 0.0226 | सनु भतरा , पिता - रानू भतरा , जाती- भतरा , गाओं - रमनगुड़ा (१५३८) | |
| 11 | 760 | निजी | धान /३ | 0.094 | As Per ROR (७६०) | |
| 12 | 908 | सरकारी | रास्ता | 0.015 | सर्वसाधारन (९०८) | |
| | | | कुल | 0.3962 | | |

फा. सं. NHAI/11013/LA/PIU-SBP,Odisha/Raipur-Vizag/Notif.(3a)/3D1]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2022

S.O. 5835(E).—Where as by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), vide **S.O. No.** 2522 (E) dated 31st May 2022 the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/Four/Six-laning, etc.), maintenance, management and operation of Newly Proposed Raipur Vishakhapatnam Economic Corridor on the stretch of land from Km. 123.21 to Km. 238.2 (O/o- Tahasildar , Dabugan Dist -Nabarangpur) in the district of NABARANGPUR in the state of ODISHA;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Prameya" and "Orissa Post" both dated 13th August 2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Newly Proposed Raipur Vishakhapatnam Economic Corridor in the stretch of land from Km. 123.210 to Km. 238.200 in the Newly (O/o- Tahasildar, Dabugan Dist-Nabarangpur) in the district of NABARANGPUR in the state of ODISHA.

| State | ODISHA | District: NA | BARANGPUR | | | | |
|------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------|---|--|--|
| Sl. No. | Survey Number | Type of Land | Nature of Land | Area in Hectare | Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | Taluk: Dabuga | n | | | | | |
| | Village: Ambaguda | | | | | | |
| 1 | 232 | Private | Dhana/2 | 0.0056 | Baraju Bishoi, Laxman Bishoi, Jhimei Bishoi, Rukmani Bishoi, S/o- Manadhar Bishoi, Sanei Bishoi, W/o- Manadhar Bishoi, Caste- Sundi, Village- Ambaguda 232 | | |
| 2 | 233 | Private | Dhana/1 | 0.0968 | Baraju Bishoi, Laxman Bishoi, Jhimei Bishoi, Rukmani Bishoi, S/o- Manadhar Bishoi, Sanei Bishoi, W/o- Manadhar Bishoi, Caste- Sundi, Village- Ambaguda 233 | | |
| | Village: Chhelibera | | | | | | |
| 3 | 162 | Private | Dhana/1 | 0.0032 | Mahadev Naik S/o: Gangadhar Naik Caste: Bhatra Village: Chhelibeda 162 | | |
| 4 | 294 | Government | Patita | 0.0017 | Aabada Jogya Anabadi 294 | | |
| | Village: Nandapura | | | | | | |
| 5 | 324 | Government | Bada jungle | 0.1355 | Rakhit 324 | | |
| 6 | 602 | Private | Dhana/2 | 0.0012 | Brunda Bhatara, Mangal Bhatara, S/o-Raibaru Bhatara, Kaitaa Bhatara, W/o-Raibaru Bhatara, Sukadas Bhatara, Jituru Bhatara, Dashratha Bhatara, S/o-Mangaru Bhatara, Mangal Bhatara, S/o-Anu Bhatara, Mandia Bhatara, Ganga Bhatara, S/o-Buti Bhatara, Caste- | | |

| | | | | | Bhatara, Village- Nandapura 602 | | | |
|----|-----------------|---------------------|------------|--------|---|--|--|--|
| | Village: Parasu | Village: Parasubeda | | | | | | |
| 7 | 289 | Private | Dangara /2 | 0.006 | Burusha Bhatara, S/o- Chaitu Bhatara, Caste- Bhatara, Village- Parasubeda 289 | | | |
| 8 | 314 | Government | Patita | 0.001 | Aabada Jogya Anabadi 314 | | | |
| | Village: Ramai | Village: Ramanaguda | | | | | | |
| 9 | 1499 | Government | Patita | 0.0136 | Aabada Jogya Anabadi 1499 | | | |
| 10 | 1538 | Private | Dangara /2 | 0.0226 | Sanu Bhatara, S/o- Ranu Bhatara, Caste- Bhatara, Village- Ramanaguda 1538 | | | |
| 11 | 760 | Private | Dhana/3 | 0.094 | As Per ROR 760 | | | |
| 12 | 908 | Government | Rasta | 0.015 | Sarbsadharan 908 | | | |
| | | | TOTAL | 0.3962 | | | | |

[F. No. NHAI/11013/LA/PIU-SBP,Odisha/Raipur-Vizag/Notif.(3a)/3D1]

RAJESH GUPTA, Director